न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3180–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–7–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर अपील प्रकरण कमांक 429/11–12

———

मुरलीधर पिता मुन्नालाल प्रजापत
निवासी 482 दयाल भदकारे का मकान
भागीरथपुरा इंदौर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 श्रीमान सक्षम प्राधिकारी महोदय
नगर भूमि सीमा इंदौर कलेक्टर कार्यालय
मोतीतबेला इंदौर जिला इंदौर
2 म0 प्र0 राज्य द्वारा जिलाधीश महोदय
पता सदर

.....अनावेदकगण

———

श्री ओ0 पी0 शर्मा अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 28 ~~अप्रैल~~ 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश 24–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 109, 110 एवं व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 18 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के आधिपत्य एवं स्वामित्व की

भूमि सर्वे क्रमांक 8/2, 9/2, 22/1, 22/1, 23 एवं 24 कुल रकबा 1.700 हेक्टेयर ग्राम भागीरथपुरा तहसील एवं जिला इंदौर में स्थित है । उक्त भूमि को अर्बन सीलिंग के तहत अधिग्रहण करने की कार्यवाही की गई थी, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था । व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 44–ए/07 में दिनांक 12–9–2008 को आदेश पारित कर उक्त भूमियों का आवेदक को भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया है । अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का नामांतरण किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 86/अ–6/08–09 दर्ज किया जाकर दिनांक 2–7–2011 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक की ओर से द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–7–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की जाकर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त हो चुका है और अगर अर्बन सीलिंग में निकली अतिशेष भूमि का कब्जा कृषक से नही लिया गया है तब वह भूमि कृषक को ही प्राप्त होगी । अतः प्रश्नाधीन भूमियां आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की होने से तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का आवेदक को भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण करना चाहिये था, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा सीलिंग विभाग एवं नजूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नजूल विभाग द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का उल्लेख किया

गया है, परन्तु आज दिनांक तक अपील प्रस्तुत नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, अतः उनके आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क के समर्थन में 2007 राजस्व निर्णय 264, 2008 राजस्व निर्णय 94, 2008 (1) एमपीएलजे 250, 216 तथा 2004 राजस्व निर्णय 67 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दी गई है । यह भी कहा गया कि सीलिंग अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना प्रतिबंधित है, अतः व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी नहीं है । अंत में कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि शहरी सीलिंग नजूल से संबंधित है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा सीलिंग विभाग एवं नजूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये बिना प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण नहीं किया जा सकता है, इस कारण तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यदि आवेदक के मत में प्रश्नाधीन भूमि सीलिंग से मुक्त होकर उसे प्राप्त हुई थी और व्यवहार न्यायालय द्वारा उसे भूमिस्वामी घोषित किया गया था तब उसका दायित्व था कि वह सीलिंग विभाग एवं नजूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करते । तहसीलदार द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुये सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है, परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा यह उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है, अतः नजूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा इसी आशय का निष्कर्ष निकालते हुये

तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में पूर्णतः विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विधिसंगत होने से उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–2013 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर